पत्रांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/60(स्वी०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 14/10/2026

विषय : **संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव/ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवाकाल में मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

02. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2347 दिनांक 11.09.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सीतामढी के आदेश दिनांक–10.09.26 के माध्यम से **स्व० बिरेन्द्र झा, ग्राम कचहरी न्यायमित्र,** प्रखंड–नानपुर, ग्राम कचहरी–कोयली, जिला– सीतामढी की सेवावधि में दिनांक 27.08.2024 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध विभाग से किया गया है।

03. जिला पदाधिकारी, रोहतास सासाराम के पत्रांक 2963 दिनांक 05.09.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, रोहतास सासाराम के आदेश ज्ञापांक–2962 दिनांक--05.09.2026 के माध्यम से **स्व० कंचन कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव,** प्रखंड--बिक्रमगंज, ग्राम कचहरी– मानपुर, जिला– रोहतास सासाराम की सेवावधि में दिनांक 07.07.2023 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध विभाग से किया गया है।

04. उक्त के आलोक में **पंचायती राज विभाग, बिहार के आदेश संख्या--216/पं०रा०,सहपठित ज्ञापांक–7243 दिनांक–11.11.2019** एवं जिला पदाधिकारी, से प्राप्त उक्त अनुशंसा/स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026--27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कृ०पृ०उ०

क्र०सं०	मृत कर्मी का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि
1	**स्व० बिरेन्द्र झा, ग्राम कचहरी न्यायमित्र**, प्रखंड–नानपुर, ग्राम कचहरी– कोयली, जिला–सीतामढ़ी	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
2	**स्व० कंचन कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव**, प्रखंड–बिकमगंज, ग्राम कचहरी–मानपुर, जिला–रोहतास सासाराम	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपया)
कुल			₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपया)

05. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980010 है।

06. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम से कर मृतक के आश्रित के खाते में जाचोंपरान्त CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

07. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

08. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

09. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026 के पृष्ठ संख्या–30 /टि0 पर दिनांक–09/10/26 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026 के पृष्ठ–30 /टि0 पर दिनांक–09/10/26को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत राशि का निमयानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

13. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्व सभाजन
13/11/26
(नजर हुसैन)
60/स्वी0 विशेष सचिव

ज्ञापांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/60/स्वी0/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं रोहतास सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/60/स्वी0/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/60/स्वी0/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट)/आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०/17–03/2026/60/स्वी0/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव